ग्राम पंचायत सुनेहड, विकास खण्ड व तहसील नगरोटा बगवां, जिला काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01-04-2013 से 31-03-2016

भाग-एक

1 {क} प्रस्तावना:- ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07-04-16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपें जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत, सुनेहड विकास खण्ड नगरोटा बगवां , जिला काँगड़ा के अवधि 4/13 से 3/16 तक के लेखों का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया ।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे :-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमति लज्या देवी	23-01-11 से 22-01-16
2.	श्री निर्मल कुमार	23-01-16 से लगातार

सचिव:

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री रवि धीमान	29-07-07 से 07-12-13
2.	श्री करण कुमार	08-12-13 से 24-11-14
3.	श्री केहर सिंह	25-11-14 से 12-06-16

{ ख} गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

क्र0सं0	पैरा स०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि {₹लाखों में}
1	4.2	रोकड़ वही व बैंक से मिलान न करना	3.34
2	6	बजट प्राक्कलन को ग्राम सभा से अनुमोदित न करवाने बारे	पैरे अनुसार
3	8	निर्धारित सीमा से अधिक नकद राशि का रखना	परिशिष्ट-2
4	10	अनुदान राशियों का अधिक खर्च करना	6.31
5	10.1	अनुदान राशियों का अवरोधन	3.06
6	11	औपचरिक्ताओं के बिना खरीद करने बारे	0.87
7	12	निर्माण सामग्री की स्टॉक प्रविष्टि न करने बारे	5.61

8	13	माप पुस्तिकायों का तैयार न करना	विवरणानुसार

भाग – दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत सुनेहड , विकास खण्ड व तहसील नगरोटा बगवां , जिला काँगड़ा के अवधि 01/4/2013 से 31/03/2016 के वर्तमान लेखों का अंकेक्षण /जाँच परीक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए है , श्री मुकेश कुमार स्नेही , अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 30-09-2016 से 05 -10-2016 तक के दौरान पंचायत कार्यालय में किया गया । आय कि विस्तृत जाँच के लिए माह 03 /14, 03/15 व 01/16 तथा व्यय की विस्तृत जाच के लिए माह 07/13, 12/14 व 04/15 को चयनित किया गया।

इस अंकेक्षण एवं निरिक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है । उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग , हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत सुनेहड, विकास खण्ड नगरोटा बगवां , जिला काँगड़ा, के अवधि 4/13 से 3/16 तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹5000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग , हिमाचल प्रदेश शिमला -171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 212 दिनांक 29 -09-16 द्वारा सचिव, पंचायत सुनेहड से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत सुनेहड द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 4/13 से 3/16 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी:-

{1} स्व स्त्रोत :- ग्राम पंचायत सुनेहड के अवधि 4/13 से 3/16 तक स्व स्त्रोत की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013-14	75196	74391	149587	31242	118345
2014-15	118345	76331	194676	71107	123569
2015-16	123569	128850	252419	51398	201021

{2}अनुदान:- ग्राम पंचायत सुनेहड के अवधि 4/13 से 3/16 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है , जिसका विस्तृत विवरण सलग्न **परिशिष्ट -1** में दिया गया है**:-**

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013-14	152745	4563302	4716047	4865551	-149504
2014-15	-149504	3891893	3742389	2660033	1082356
2015-16	1082356	1864149	2946505	2640101	306404

31-3-16 को बैंक में जमा राशि का विवरण:-

क्रम सं	बैंक का नाम	खाता खाता सं	राशि
1.	KCCB N /BAGWAN	20012008452	830556
		CASH IN HAND	10597
		TOTAL	**841153**

4.1 बैंक समाधान विवरणी:-

(क)दिनांक 31-3-16 को बैंक अनुसार अन्त शेष :- ₹ 841153

(ख)दिनांक 31-3-16 को वित्तीय स्थिति द्वारा अन्त शेष (1+2) :- ₹ 507425

अन्तर :- ₹ 333728

4.2 रोकड़ बही व बैंक खातों से मिलान न करना :-

ग्राम पंचायत सुनेहड की रोकड़ वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ वही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था । वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31-3-16 को पैरा 4.1 के अनुसार रोकड़ वही व बैंक खातों के अन्त शेष में ₹333728 का अन्तर था । अत: पंचायत द्वारा रोकड़ वहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है । अत: इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ वहियों को बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

5 रोकड़ बही का निर्माण नियमानुसार न करना:-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार नियम 3 में दर्शाई सहिंता संख्या 01 से 50 में वर्णित आय पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत माने जायेंगे और ऐसी आय के लिए पृथक खाता

खोला जायेगा। यह खाता पंचायत निधि खाता -क के रूप में जाना जायेगा । इसी तरह,नियम-3 में सहिंता संख्या 51 से 99 में वर्णित आय सहायता अनुदान विशेष प्रयोजनों के लिए आबंटित निधियां हेतु पृथक खाता खोला जाएगा और पंचायत निधि हेतु खाता-ख जाना जायेगा । परन्तु जाँच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि में पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत की व अनुदानों के लिए एक ही रोकड़ बही व एक ही पास बुक ग्राम पंचायत द्वारा तैयार की गई है जो कि अनियमित है। अत: नियमानुसार रोकड़ बही का रख -रखाव न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में पंचायत निधि खाता -क व ख के अनुरूप रोकड़ बही का रख -रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

5.1 नियमों के विरुद्ध एक बैंक बचत खातों का खोला जाना:-

हि०प्र० प्रदेश पंचायती राज {वित्त बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते } नियम 2002 के नियम 7 (1 व 2) पंचायत में केवल दो बैंक खाते खोले जाने का प्रावधान है। जिसमे से खाता "क" में पंचायत के स्वयं संसाधनो से प्राप्त आय तथा खाता "ख" में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाए जाने का प्रावधान है । परन्तु पंचायत द्वारा दो के स्थान पर पैरा 4(1) के अनुसार केवल एक ही बैंक बचत खाता खोला गया है । अत:नियमों के विरुद्ध खोले गए केवल एक ही बैंक खातें बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए एक अतिरिक्त खाते को खोलकर इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाये ।

5.2 वर्गीकृत सार रजिस्टर (classified abstract) को न तैयार करने बारे:-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते } नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फार्म 8 में वर्गीकृत सार को तैयार कर एक आय तथा व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा जिसमे प्रत्यक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी । प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी । इस सार को बनाए जाने का उदेश्य आय व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है । इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ो का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति का निर्माण करने में भी समय की बर्बादी हुई है । इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार का तैयार करना सुनिश्चित किया जाये ।

6 बजट प्राक्कलन को ग्राम सभा से अनुमोदित न करवाने बारे:-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म -11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा वर्ष 2013 व 2014-15 के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित नहीं करवाया गया था । इस प्रकार बजट प्राक्कलन को ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अत: उक्त अवधि के बजट प्राक्कलन को ग्राम सभा से अनुमोदित न करवाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन को ग्राम सभा से अनुमोदित करवाना सुनिश्चित किया जाए।

7 रसीद बुकों का प्रस्तुत न करना:-

अंकेक्षण के दौरान माह 3/15 व 1/16 की रसीद बुकें आवयश्क जाँच में प्रस्तुत नहीं की गई जिसके अभाव में सम्बन्धित माह में वसूली आय की सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी। अत : रसीद बुकों को प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

8 निर्धारित सीमा से अधिक नकद राशि का रखना:-

पंचायत की रोकड़ बही के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट 2** में दिए गए विवरणानुसार नकद राशि को निर्धारित सीमा से अधिक रखा गया था जबकि सचिव द्वारा केवल एक हजार तक की राशि हस्तगत रखी जा सकती है , जोकि {वित्त बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते } नियम 2002 के नियम 10 (3) के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है । अत: नियमों के विपरीत हस्तगत राशि को रखने का औचित्य स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार ही हस्तगत राशि का रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

9 गृह-कर व अन्य स्त्रोतों से प्राप्त आय के मांग व प्राप्ति रजिस्टर उपलब्ध न करवाने बारे:-

अंकेक्षण के दौरान जाँच में स्व : स्त्रोत, गृहकर, इत्यादि से प्राप्त आय से सम्बन्धित मांग व प्राप्ति रजिस्टर अंकेक्षण में आवयश्क जाँच में उपलब्ध नहीं करवाया गया जिसके अभाव में गृहकर व अन्य स्त्रोतों से प्राप्त आय के कुल वसूली की सत्यता व शेष वसूली की जाँच अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी जोकि एक गम्भीर मामला है । अत:पंचायत राजस्व से सम्बन्धित उक्त अभिलेख को प्रस्तुत न

करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

10 अनुदानों का प्राप्त राशि से ₹6.31 लाख अधिक व्यय करने बारे:-

पंचायत सचिव सुनेहड़ द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **{परिशिष्ट-1}** के अनुसार दिनांक 31-03-16 को अनुदान 3rd state, lay, mmgpy, manrega, nfbs, sms के शीर्ष के अन्तर्गत क्रमशः ₹72026, ₹99769 ₹5 ₹423872, ₹30000, ₹5012 इन अनुदानों में पर्याप्त राशि न होने के कारण किसी अन्य अनुदानों से व्यय की गई व उक्त शीर्ष अनुदानों के प्राप्त अनुदान से ₹6.31 लाख अधिक खर्च किए गए जोकि अनियमित व गम्भीर मामला है । इस अनियमित व्यय को नियमित करने के लिए सक्षम अधिकारी की स्वीकृति ली जाए व उचित स्त्रोत से उक्त राशियों को वसूल कर सम्बन्धित शीर्ष में जमा किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए व भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि न दोहराई जाए।

10.1 अनुदान ₹ 3.06 लाख का उपयोग न करना:-

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **{परिशिष्ट-1}** के अनुसार दिनांक 31-03-16 तक अनुदान ₹306404 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था , जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ -साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वांछित होना पड़ा। अंकेक्षण अधियाचना संख्या : 209 दिनांक 05-10-16 द्वारा सचिव , ग्राम पंचायत सुनेहड को अवगत करवाया गया परन्तु सचिव , ग्राम पंचायत सुनेहड द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया । अत: अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशी का प्रत्यापर्ण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

11 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹0.87 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना:-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे ,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 67(4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट-3** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹87364 के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है । अंकेक्षण अधियाचना संख्या : 210 दिनांक 05-10-16 द्वारा सचिव , ग्राम पंचायत सुनेहड को अवगत करवाया गया परन्तु सचिव , ग्राम पंचायत सुनेहड द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया , जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है । अत: स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक /स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

12 क्रय की गई ₹ 5.61 लाख निर्माण सामग्री का भण्डारण , भण्डार पुस्तकों में इन्द्राज न करना:-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे ,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 69व 72 (1)(ए,बी,सी,व डी)के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किए गए भण्डार का स्थाई एवं अस्थाई प्रक्रति के अनुरूप फार्म 25, 26, 27 व 28 में लेखाकन किया जाना है । परन्तु पंचायत के अवधि 04/13 से 3/16 तक के दौरान की गई खरीद के वाउचरों की नमूना जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट-4** पर ₹561454 की निर्माण सामग्री को क्रय उपरान्त भण्डार पुस्तक में दर्ज नहीं किया गया है जोकि एक गम्भीर अनियमितता है । अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 210 दिनांक 05-10-16 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत सुनेहड को अवगत करवाया गया परन्तु सचिव ,ग्राम पंचायत सुनेहड द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया । बिना स्टॉक प्रविष्टि के अंकेक्षण द्वारा खरीद की पुष्टि नहीं की जा सकी । अत: औचित्य स्पष्ट करते हुए प्राप्ति व उपभोग का अभिलेख पूर्ण कर अंकेक्षण से पुष्टि करवाई जाए अन्यथा राशि उचित स्त्रोत से वसूल की जाए।

13 निर्माण कार्यो की माप पुस्तिकायें तैयार न करने बारे:-

अंकेक्षण के दौरान निम्नलिखित निर्माण कार्यों के मस्ट्रोलों में दर्शाई गई माप पुस्तिकाओं की जाँच करने पर पाया गया कि इन माप पुस्तिकाओं में निम्नलिखित निर्माण कार्य कहीं भी दर्ज नहीं किए गए थे। इसके अतिरिक्त इन निर्माण कार्यों को किसी भी प्रस्तुत माप पुस्तिकायों में दर्ज नहीं किया गया है जोकि एक गम्भीर अनियमितता है औचित्य स्पष्ट करते हुए इन निर्माण कार्यों की विभागीय जाँच करवाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

क्रम संख्या	निर्माण कार्य का नाम	मस्ट्रोल में दर्शाए माप पुस्तिका न०	मस्ट्रोल में दर्शाए पृष्ठ संख्या
1.	c/o कुहल फली (300-400)	6322	95-99
2.	c/o कुहल छत्तरबाल	6746	नहीं दर्शाए है

14 विहित रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव न करना:-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे ,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था , जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या :- 211 दिनांक 05-10-16 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत सुनेहड को अवगत करवाया गया परन्तु सचिव , ग्राम पंचायत सुनेहड द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया ।

क्रम संख्या	रजिस्टर/अभिलेख का नाम	फार्म न०	संदर्भित नियम
1.	गृह-कर मांग व प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77 (4)
2.	मोबाइल टाबर रजिस्टर		
3.	चल-अचल सम्पति रजिस्टर		
4.	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	31	95 (1)
5.	डाक टिकट रजिस्टर	24	61 (2)
7.	अनुदानों का विनियोजन रजिस्टर	21	61(1)
8.	खाताबही	7	29 (1)

15 प्रत्यक्ष सत्यापन:-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे ,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है , परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा

भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अम्ल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

16 विविध अनियमितताएं:-

ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे ,सकर्म,कराधान व भत्ते }नियम 2002 के नियम 93 (ए)(1) के अन्तर्गत एक अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही।

17 लघु-आपति विवरणिका:- लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नही की गई है ।

18 निष्कर्ष:- लेखों के रख-रखाव में उचित सुधार एवं कड़े निरिक्षण की आवयश्कता है ।

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(2) 60/2016–खण्ड–1–1512–1515 दिनाँकः08.03.2017
शिमला–171009,
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1 सचिव, ग्राम पंचायत सुनेहड़, विकास खण्ड नगरोटा बगवां, जिला काँगड़ा, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नगरोटा बगवां, जिला काँगड़ा, हि0प्र0

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेा, शिमला–171009.

“